



सं.सं. : वि०प्र० 6ए-12/2013.....1868/160

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

Gendry 50 298
17/7/19

①

राँची/दिनांक...11-7-19

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। (148% to 154%)

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2019 से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमन्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 148% (एक सौ अड़तालीस प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमन्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और उसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3/2008 E.II(B) दिनांक 08.03.2019 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 148% (एक सौ अड़तालीस प्रतिशत) से 154% (एक सौ चौवन प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरंत राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से महँगाई राहत 148% (एक सौ अड़तालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 154% (एक सौ चौवन प्रतिशत) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1695/वि० दिनांक 24.06.2019 के क्रम में दिनांक 25.06.2019 की बैठक के मद सं० 05 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड, राज्यपाल के आदेश से,

(के. के. खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

Pen-1
L-1814

